

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

प्रसिद्धिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 1994/माघ 21, 1915 [पि. आर. डी. सं 20 & 22  
No. 5] DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 10, 1994/ MAGHA 21, 1915 [P. R. D. No. 20 & 22

## भाग IV PART IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभागों की अधिसूचनाएं  
Notifications of Departments of the National Capital Territory Administration other than Notifications included in Part I

### राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग  
अधिसूचना  
दिल्ली, 27 जनवरी, 1994

DEPARTMENT OF MEDICAL & PUBLIC HEALTH  
NOTIFICATION  
Delhi, the 27th January, 1994

सं.फा. 5/7/92-चि. व जन स्वा. (2)-स्वास्थ्य  
मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 12 अक्टूबर, 1957 की  
अधिसूचना संख्या 12-72/57-डी के साथ पठित  
औषधि और बमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन)  
अधिनियम 1954 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का  
प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्य-  
पाल, सर्वश्री गोपाल कृष्ण कपूर और एस. सुन्दरनायगम  
औषधि निरीक्षकों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सर-  
कार के अन्दर उक्त धारा के अधीन सभी कार्यों को करने  
के लिए प्राधिकृत करते हैं।

No. F. 5/7/92-M&PH(ii).—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 read with the Government of India. Ministry of Health, Notification No. 12-72/57-D dated the 12th October, 1957, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to authorise Shri Gopal Krishan Kapoor and S. Sundaranyagam, Drugs Inspectors to do all act under the said section within the National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the name of  
the Lt. Governor.

VED PRAKASH, Jt. Secy, (Medical)

अधिसूचना

दिल्ली, 27 जनवरी, 1994

सं.फा. 5/7/92-चि. व जन. स्वा. (i)-स्वास्थ्य  
मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 12 अक्टूबर, 1957 की  
अधिसूचना संख्या 12-72/57-डी के साथ पठित औषधि  
व प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 21 द्वारा

उपराज्यपाल के आदेश से तथा  
उनके नाम पर

वेद प्रकाश, संयुक्त सचिव (चिकित्सा)

(21)